कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
1496-529

कमांड / बैठक / 2011 / D E / V T A / M / 18 / 18 / III / दिनांक 26 अगस्त, 2011
बैठक कार्यमाणी विवरण

प्राधिकरण की कार्यकर्तारी समिति को बैठक आयोजित, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं आयुक्त, कार्यकर्तारी समिति की सदस्यता में उनके कार्य के दिनांक 26 अगस्त, 2011 को सायं 4.30 बजे आयोजित की गयी है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिलोकपत्र-1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सह सम्मान से निम्नलिखित निर्णय सिखाये गये—

प्रस्ताव संख्या 1 : गत बैठक दिनांक 29 मई, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बैठक में विचार विमर्श शीर्षक सशस्त्र सम्मान से गत बैठक दिनांक 29 मई, 2011 के कार्यमाणी विवरण की पुष्टि की।

प्रस्ताव संख्या 2 : मोडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 लागू करने के संबंध में विचार विमर्श।

नगरीय विकास विभाग द्वारा संरचना भवन विनियम 2010 भिजवाय गये हैं। जिन्हें दिनांक 31 मई, 2011 से पूर्व लागू करना था। अतः संरचना भवन विनियम 2011 विचारार्थ कार्यकर्तारी समिति के संबंध प्रस्तुत हुआ।

समिति में विचार विमर्श उपरान्त सह सम्मान से उपरोक्तनागर द्वारा प्रस्ताव दिया गया की पुष्टि की गयी संरचना भवन विनियम दिनांक 31 मई, 2011 से लागू करने का निर्णय दिया गया। बैठक में निदेश-आयोजन को निदेश दिया गया कि वे गठन विनियमों की प्रारंभ तथा निदेशकरण, उपनियम, सहयोग अन्तर्गत अधिकारी एवं कम्प्यूटर संस्था का उपयोग कराया जाये ताकि नियमों की प्राप्ति व्यवस्था को वेब-साइट पर भी प्रस्तुत की जाये।

प्रस्ताव संख्या 3 : विवादन नीति के संबंध में विचार विमर्श।

कार्यकर्तारी समिति की गत बैठक दिनांक 29 मई, 2011 विवादन नीति विचार
विमर्श उपरान्त अनुमोदित की गई थी। उक्त नीति में तिथियों से तिथि 4 "राज्य स्तरिय समाचार-पत्र" में 70,000 से कम प्रसार संख्या वाला समाचार-पत्र सम्मिलित नहीं किया जाएगा। राज्य स्तरिय समाचार पत्र का राज्य के कम से कम 5 शहरों से प्रकाशन होना भी आवश्यक है।" अद्वितीय निर्णय दिया गया है जबकि विचार विमर्श में राज्य स्तरिय समाचार-पत्र के लिए कम से कम 4 शहरों में प्रकाशन होना निर्दिष्ट किया गया था। अतः उपरोक्त संस्थान हेतु प्रकाशन समिति की समाचार विशेष प्रस्तुत किया गया।

बाद विचार विमर्श सह सम्मान से उपरोक्तनागर प्रांत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय दिया गया।
प्रस्ताव संख्या 4  का कार्यवाहीकरण हास्य मुहरूदास मधुर अस्थानल से  आपूर्ति किये गये कार्यकार के भुगतान के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुहरूदास मधुर अस्थानल से निम्नलिखित कार्यवाहीकरण सुनियाम के लोकार्थ से दिनांक 29 जनवरी, 2011 को समाप्त हुई बैठक में प्रस्ताव, संपूर्णतः साक्षात्कार महाराजालय, जोधपुर एवं जिला निदेशकों के सम्बन्ध में कार्यवाहीकरण सुनियाम में 12 एकडीयपूर्वी विकल्पशंक विधेयक (तरिकत विकल्पात्मक अंधकारियों के लिए) एवं 20 एकडीयपूर्वी विकल्पशंक उपयोगस (सेंट्रल होल्ड इंस्ट्रक्शन) की आवश्यकता आपूर्ति जोधपुर विक्रय प्राधिकरण द्वारा की जाती है। कार्यकार की आपूर्ति हेतु न्याय हास्य द्वारा पूर्ण में बालाज़ी इंडस्ट्रीज, जोधपुर को कार्यकार दिलाया गया। उसके बाद कार्यकार की आपूर्ति भी को नहीं की। कार्यकार की आपूर्ति अर्थात राष्ट्र अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लोकार्थ कार्यकार के पूर्ण कहनी की इस कार्य वैसे माननीय मुख्यमंत्री इंडस्ट्रीज, जोधपुर की इस कार्यकार के आवेदन संख्या 1867 दिनांक 29 जनवरी, 2011 के द्वारा आवेदन दिया गया। उक्त कार्यकार की हेतु हेतु बुकार्ट निलंबनवाद

1. 12 एकडीयपूर्वी विकल्पशंक विधेयक प्रति शंक 9918/*/ 119916/*/
2. 30 एकडीयपूर्वी विकल्पशंक उपयोगस प्रति उपयोग 5442/*/ 163260/*/

कुल हेतु: 252276/*-

कार्यकार की आपूर्ति दिनांक 29 जनवरी, 2011 को प्राप्त कर प्राधिकरण के संबंध में इन्हें कर दिनांक 30 जनवरी, 2011 को लोकार्थ से पूर्ण कार्यवाहीकरण सुनियाम को परिवर्तन कर दी गई।

अतः उपर्युक्त 252276/*- राष्ट्र का भुगतान मैत्ररोली व बालाजी इंडस्ट्रीज, तमासल जोधपुर को धारी के क्षेत्रीय संभाल के राष्ट्र अनुसार भुगतान हुआ।

बाद विवाह विभाग सर्व संपर्क से नियंत्रित किया गया कि आरक्षण इस प्रकार पुराने टेंडर के वर्तमान पर आदेश देने एक डिप्लोम उपयोगिता का है, परंतु आंशिक कार्यकारी अंदाज में दस्तावेज देता एवं इस उपयोगिता का है, परंतु जोधपुर प्राधिकरण द्वारा तर्क दिया गया कि उस तरीके की आपूर्ति संबंधि की देखते हुए लोकार्थ का आयुक्त एवं संबंधि द्वारा यह आदेश दिया गया था इस कारण उक्त शेतवेदक कार्यकारी बालाजी इंडस्ट्रीज, जोधपुर की अनुमित देवी एवं आदेश के अनुसार भुगतान दिया जायेगा। यह और निर्देश दिया गया कि भविष्य में उक्त अनुमित देवी नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यकार का भुगतान उक्त शेतवेदक के उसके द्वारा टेंडर में उपलब्धित सत्य एवं अनुमित देवी के आधार पर किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या 5  विकास कार्यों का स्वीकृति के संबंध में,

(1) राजीव गांधी योजना के किन्नर संकेतों में शेष सत्र इत्यादी संवेदन एवं पुलिस का निर्माण कार्य।

जोधपुर विकास प्राधिकरण का राजीव गांधी नामक योजना में तक 4648 वे से लगभग 3073 मुख्यालय का लोकार्थ द्वारा आदेश किया जा चुका है और गो गोजी मुख्यालय तथा व्यापारीय मुख्यालय सहित आदेश किया जाना चाहिए है, वर्तमान में इस योजना में उपर्युक्त 1450.00 लाख की प्रशासनिक एवं विभिन्न स्वीकृति की तथापि इत्यादी, तीन संकेत एवं पुलिस का निर्माण कार्य का एक अधिकार शेष 98400 लाख का दिया गया है, जोकी वर्तमान में प्रभावित है। कार्यों की औपचारिक संबंधि को देखते हुए
प्रामाणित कार्य में स्नीबुल्क कार्य के तहत सड़क का Formation की उस्ताई को आवश्यक गेंद के लिए चार गाई है। इससे सहायता उक्त अनुबंध को प्रशस्ति स्वीकृति तक करने के लिए की गई है। किन्तु जिन अलग-अलग सेक्टर एन्ड, वा, रे एवं यहाँ सड़कों का कार्य पुलियों ही जायेगा एवं सेक्टर ए, वा, रे, छ, ट, अंद जैसे नामों में भारतीय सुरक्षा का निर्माण कार्य होगा। इस तरह प्रस्तुत वार्ता में योजना का कार्य हिस्सा शेष रह जायेगा। योजना की शेष रही सड़कों एवं पुलियों के निर्माण हेतु निम्नलिखित लागत का कार्य प्रशस्तिक एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

<table>
<thead>
<tr>
<th>स. नं.</th>
<th>सेक्टर नं.</th>
<th>अनुमानित लागत (लाख रु. में)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>रेडेंट ए</td>
<td>377.50</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>रेडेंट वी</td>
<td>42.90</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>स्केलेट री</td>
<td>92.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>स्केलेट जी</td>
<td>148.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>स्केलेट ए</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>स्केलेट ज</td>
<td>113.00</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>953.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

बाद में विवरण विवरण सर्व समग्र से रिपोर्ट दिया गया कि निदेशक अभिमन्यु उक्त योजना अलग सड़क निर्माण से शेष रहे सेक्टर की सड़कों का एवं निर्माण करके एवं आवश्यकतानुसार कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

(2) राष्ट्रीय गाड़ी नगर योजना में वर्ग जल की निकाली –

राष्ट्रीय गाड़ी नगर योजना महाराज क्षेत्र में स्थित है तथा योजना के अनुसार सेक्टरो में पहाड़ी से पहाड़ी जल एकत्र कर लाया है। इस वर्ग जल की सुरक्षित निकाली हेतु विभिन्न सेक्टरों में बरसाती नाले निर्माण कर पुलियों के माध्यम से वर्ग जल की निकाली प्राप्त करके भारतीय रक्षक क्षेत्र तक पहुँचा बरसात नाले निर्माण का तत्कालीन बनाया जा कर वाले प्रशस्त एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ—

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No.</th>
<th>Particulars</th>
<th>Length Meter</th>
<th>Amount (Lacs)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Sector F Park to C1 Culvert</td>
<td>750</td>
<td>190.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>E1-E2 Culvert to Kurureshi Nagaar Shamshah</td>
<td>850</td>
<td>215.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Sector B Culvert to Jogiyon ki Basti</td>
<td>600</td>
<td>152.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Sector J to G</td>
<td>1100</td>
<td>213.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Sector A to Garden</td>
<td>1150</td>
<td>222.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Sector A Park to 48 M Road</td>
<td>550</td>
<td>106.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Sector E</td>
<td>1200</td>
<td>232.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>6200</strong></td>
<td><strong>1330.00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

बाद में विवरण विवरण सर्व समग्र से विषय दिया गया कि उक्त समग्र प्रस्ताव के लिए प्रशस्तिक एवं विवरण स्वीकृति जारी की जाएँ किन्तु पूरा प्रस्ताब में प्रशस्तिनिर्देश से प्रोटेक्शन गीत बनाये जाने का कार्य ही करवाया जाए।
(3) राष्ट्रीय माही नगर योजना में शेष रहे मुख्यालय एवं सड़कों पर मुद्रामय लगाने का कार्य —

इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में एक कार्यवाही के गहरे अंग हर सड़क मंडल 2264 मुद्रामय लगाये गये हैं। योजना की पहले देस बी-डी मुख्यालय के बीच का पात्र की बुनाई के बजाय गये हैं। इस पूर्व में लगाये गए मुख्यालयों के बीच में एक सड़क जो मुख्यालय एवं सड़कों का विनिर्माण आदेश करता है। तो यह प्रारंभ का बुनाई के मुद्रामय प्रसारित हो।

बाद विनिर्माण विषय सम्बन्धी योजना में निर्माण किया गया कि मुद्रामय लगाने का कार्य के लिए जो निर्माण कार्यक्रम अनुसार का लिए निर्मित किया जाये। इसके लिए विनिर्माण-अभियान पर विनिर्माण शीर्षक कर प्रधान ज्ञात के लिए 20 - 20 की खपत की सशी की वसीयत करना वह निर्माण कार्य की सुनिश्चिती करने व अध्याय की सशी को जाने को निर्देशन का अभियान निर्मित करने व अध्याय के लिए 10 - 10 काम करने की निर्देशन का अभियान करने को स्पष्ट होना निर्देशित करने।

(4) अधिक व अधिक कार्यों का सम्मान —

1. जी.बी. बिकास कर्मी के प्रशासनिक एवं विशेष स्थितियों का अनुसरण —

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रं. सं.</th>
<th>कार्य का नाम</th>
<th>राशि (लाखों में)</th>
<th>विशेष विवरण</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>महानगर कार्यालय (शहानगर) में जोमर्करण का कार्य</td>
<td>28.82</td>
<td>विविध विषय महानगर (लाखों) और महानगर विभाग की अनुसूचार पर विविध विषय की अनुसूचार पर विविध विषय की अनुसूचार पर विविध विषय की अनुसूचार पर विविध विषय की अनुसूचार पर</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>सरकार सम्मान नगर स म्याल कार्य व नगर वस्तु निर्माण कार्य</td>
<td>16.00</td>
<td>जी.बी. बिकास कर्मी के प्रशासनिक एवं विशेष स्थितियों का सम्मान</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>शहानगर कार्यालय से शहानगर गांव मार्ग पर पात्री बांध मार्ग एवं सड़क जोमर्करण का कार्य</td>
<td>29.52</td>
<td>जी.बी. बिकास कर्मी के प्रशासनिक एवं विशेष स्थितियों का सम्मान</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>जी.बी. बिकास कर्मी के प्रशासनिक एवं विशेष स्थितियों का सम्मान</td>
<td>50.00</td>
<td>जी.बी. बिकास कर्मी के प्रशासनिक एवं विशेष स्थितियों का सम्मान</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>सुप्राचार का वाला एवं सुवर्णी में सीमेंट सड़क के भीतर नाईन का कार्य</td>
<td>35.00</td>
<td>जनुअरी पर निर्देशक प्रमोक्षण की सूचीकरण सड़क की अनुमोदना पर</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>क्रोध परिवहन ने नाम सीमेंट पूर्व जगीर जि. घरपत्र ने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में सड़क निर्माण कार्य</td>
<td>80.00</td>
<td>90 की की कौशलता है एवं 1999 के पूर्व की होने के कारण विशेषता में किसी भी प्रभाव का संबंधण प्राधिकरण के लिए किया जाना है</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>सरकार अधेर, गोल माधों में सफेद आसार का गंदा एवं फूटपथ व इंडस्ट्रिकैंट राइल्स का निर्माण कार्य</td>
<td>30.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>डी.जी.एच. कॉलेज इंस्टूट्स में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में सड़क निर्माण कार्य</td>
<td>25.00</td>
<td>जनरल पंडित निर्माण प्राधिकरण का लंबक</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>जीन - उसर</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>जुनंदर सिंह महादेवी में कन्ट्रूल सीटिंग एवं कपड़ा एवं बीटी सड़क का कार्य</td>
<td>200.00</td>
<td>जनरल पंडित निर्माण प्राधिकरण स्थानीय कार्य</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>लाल सागर भुमिक सड़क नुकसान दिखाए से मोकमल की प्लांट तक पारा व फूटपथ सड़क का कार्य</td>
<td>80.00</td>
<td>भुमिक सड़क है</td>
</tr>
</tbody>
</table>

इस संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि—

1— उपरोक्त कार्यावली में कम संख्या 3 पर अंकित कार्य व संस्था में ईदुद्व में विभिन्न निदेशक—प्रभाषक को पूर्व निर्देशन के परिधियों में परीक्षण करने के उपराचार प्रक्रिया आवश्यक महत्त्व को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया तथा इस प्रक्रिया में अंतर्गत अधिकार को बुझाने के लिए विभिन्न सूचनाओं के अधार पर स्वीकृति दिये जाने हेतु अवश्यक करने का निर्णय लिया गया।

2— कम संख्या 4 व 5 में अंकित कार्य के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि नीचे पर अधार सड़क का निर्माण यदि हो सकता है तो डायर सड़क का ही निर्माण करना चाहिए दक्षिण अधार सड़क का निर्माण करना जाता है तो डायर सड़क में होने वाले खास 12 अंतर्गत ही प्राधिकरण एवं कब्जारी स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय निर्णय। इस संदर्भ में निदेशक—प्रभाषक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

3— कम संख्या 9 में अंकित कार्य में सीमेंट कंक्रीट सड़क के स्थान पर डायर सड़क निर्माण करने के कार्य के अनुसार ही प्राधिकरण एवं कब्जारी स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।
4— कब्ज़ा संख्या 10 में अवकाश कार्य में शामिल निर्माण कार्यों का निर्माण लिया गया तथा तदनुसार ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्थिति खारीज करने का निर्देश दिया गया।

अन्य प्रशासनिक कार्यों के संबंध में निर्देशक अभियांत्रिकी व वाणिज्य कार्यों निरीक्षण कर अभियंता ने आवश्यकता की विषय में दिया गया।

(5) उक्त विकास कार्यों की समापित स्थिति हेतु अनुमोदन याचना—

<table>
<thead>
<tr>
<th>कार्य का नाम</th>
<th>पूरी स्थिति (शीतल)</th>
<th>संघीय विभागीय स्थिति (लातमी)</th>
<th>विभाग विवरण</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. गोरखानी मेलाने छात्राओं के लिए तिलक पर समारोह कार्य (कार्य का निर्माण कार्य)</td>
<td>23.00</td>
<td>26.00</td>
<td>गोरखानी तालुकाकी कार्य के लिए निर्माण कार्य प्रस्तुत है। निर्माण का निर्माण संस्थापक ने अनुमोदन प्राप्त कर एक ही साल तक पूर्ण करेगा। निर्माण कार्य छात्र में वर्तमान समय में शीतल है। वानिज्य एवं कार्यों की समापित स्थिति हेतु प्रस्तुत है।</td>
</tr>
<tr>
<td>2. गोरखानी जिलाधिकारी अवकाश कार्य के लिए तिलक पर समारोह कार्य (कार्य का निर्माण कार्य)</td>
<td>78.00</td>
<td>102.05</td>
<td>अवकाश कार्य पूरा हुआ है। निर्माण कार्य प्रस्तुत है। वानिज्य कार्यों की समापित स्थिति हेतु प्रस्तुत है।</td>
</tr>
<tr>
<td>कुल मूल्य</td>
<td>101.00</td>
<td>128.05</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

उक्त विकास कार्यों की समापित स्थिति हेतु प्रस्तुत है।

3.4. समापित ने बाद रिपोर्ट विभाग सर्व समापित से कब्ज़ा संख्या 1 में अवकाश कार्य का प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्देश लिया गया तथा कब्ज़ा संख्या 2 में अवकाश कार्य के संबंध में निर्देश लिया गया कि उक्त कार्य संवेदक की रिक्षा एवं कार्य के अलावा जो अस्तित्विक कार्य किया गया है, वे कार्य ही स्थिति कर दें। उक्त संवेदक अभियंत्री दोनों कार्यों का पूर्ण पृथक दर्शाने हुए वर्तमान अंतरित कार्य का प्रस्तुत करें। अनुमोदन ही समापित स्थिति आयुक्त महादेवा द्वारा स्थीति की जाने।

(6) लालसार्व अंडरविल्जिस के गोरखानी के प्रभाव तक वन रही सबसे प्रिंसाइडर का कार्य—

उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्थिति 119.70 लाख रुपये की जारी की गयी थी। गोरखानी पर विप्रेशन की लागत 900 मीटर बढ़ने के कारण अधिक कार्य स्थिति हेतु 13.16.486/- की स्थिति आयुक्त महादेवा द्वारा दिनांक 11 मंथ 2011 के जारी की गयी।
अत अधिकार कार्य रचित करने 13.16,486/- की तस्करता प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त मात्र प्रशासनिक एवं सत्तवाहन सीमिति की तीव्रता से दी जा रही है।

समिति ह्याएं वार्षिक विषय वर्ष सममति से उपरीक्षानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 : काजी बड़ा स्टेडियंम के संचालन हेतु ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन के साथ एम.ओ.यू. व विद्यालय की शाखा का निर्धारण।

काजी कार्यालय परिषद के पास प्राधिकरण ह्याे बड़ा स्टेडियंम विकसित किया गया है। उक्त बड़ा स्टेडियंम पर 20 कीमत का निर्माण किया गया है तथा उक्त कीमत के लिए ही पेट्रोलियम विकसित किया गया है।

उक्त कीमत व पेट्रोलियम प्राधिकरण ह्याे संबंधित बड़ा आमदनी को चिह्नित कर दिये जाने हैं। निरस्ति दर की जानी है। इस संबंध में नहानको अभियंता व अधिकारी अभियंता की नियोजन प्राप्त की जिसके अनुसार प्राधिकरण की चालनक दर से विक्रय करने पर 1800/- लैपर दर पिट साइकिल व पेट्रोलियम होता है।

उक्त कीमत व पेट्रोलियम को निर्माण कर दिये जाने के संबंध में बड़ा आमदनी व प्राधिकरण के संबंध में MoU नियमित किया गया है। इस संबंध में शी वालों रजनीगंगा स्टेडियंम, ऑस्ट्रिया के साथ अपने नासिक जिले पर विद्यालय जाने हेतु योजना लगाकर जिससे विभिन्न साधन वाहन के मोड़ कर MoU नियमित किया गया है। उसी MoU में वर्तमान संशोधन कर नियमित किया गया प्रस्ताव किया गया है।

अत प्रकरण समीक्षा के समक्ष कीमत व पेट्रोलियम दिये जाने हेतु मानक किराया तथा नियमित किया जाने वाले MoU के संबंध विभागीय एवं मानक वीडियो प्रस्तुत हुआ।

वार्षिक विषय वर्ष सममति से उपरीक्षानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 : रामराज नगर में बुल्लोकट फाइंस निर्मित।

नगर विकास व्यास जोधपुर द्वारा दिनांक 25.07.2008 को भूखंड मंडळ 401 इंडेक्स में तंगी नगर योजना का शी मोनिसाल व दी शी तारावंड की आवेदन किया गया था। आवेदन शाखा द्वारा शी मोनिसाल की आवेदन पत्र क्रमांक भू-आ.46 /एफ.46/आवेदन/08/4516 दिनांक 30.08.2008 का उक्त कीमत का मान शी मोनिसाल पालीवाल व प्रणाली शी तारावंड व वार्ता योजना पोस्ट मोड़, नीलीस मोड़, वार्ता दोहोरी जिला जोधपुर पर निर्मित किया गया था। आवेदन का कारण है कि उक्त आवेदन पत्र प्रति नहीं हुआ है। आवेदन शाखा उपलब्ध दिक्षता के अनुसार आवेदन पत्र पुनः लोकेंद्र व दी लोकेंद्र व दी शाखा व भूखंड की मूल पत्रावली भी उपलब्ध नहीं है। आवेदन शाखा व भूखंड की मूल पत्रावली भी उपलब्ध नहीं है। कार्यालय समिति में बुल्लोकट फाइंस द्वारा हेतु विचारधार्म प्रस्तुत है।

नगर विकास व्यास जोधपुर द्वारा दिनांक 14.07.2008 को भूखंड मंडळ 187 सेक्टर धारा रामराज नगर योजना में शी अभियंता गाथी पुनः शी शोधनाल की आवेदन किया गया था। जिसका आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2008 को जारी है एवं
भुखमर्य दी बंकरका राशि रूपांतर 50,088/- की नियमित समस्यात लगा है। जल्दी ते नियमित द्वारा सुधार कर नियमित करके िंिा जाना कि उनके शिक्षा का नाम की सोहळातो के स्थान पर शी गोपन्यांक अनलेट हो गया जिसे उपलब्ध किया जाने। जल्दी ते नियमित द्वारा सुधार करके िंिा जाना कि उनके शिक्षा का नाम का सोहळातो के स्थान पर शी गोपन्यांक अनलेट हो गया जिसे उपलब्ध किया जाने।

समस्यात द्वारा बिचार किराया कर सर्व समस्यात ते नियमित जिला कि राजमार्ग नतंत्र प्रकरण के तुलनात्मक स्तर में विस्तार सुधार प्रिंटर (एफ.एस.एस.ए) करने को बुझाते तथा विस्तार स्तर में सुधार प्रिंटर दर्जा करने बांटने के 3 दिन की समस्यात में भूखमर्य दी बंकरका राशि रूपांतर 50,088/- के बारे में एक माह का सर्वश्रेष्ठ नीतिक दी समस्यात प्रकरण करने के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने की कामयाबी की जाने तथा उपलब्ध कुल उपलब्ध प्रशासन समर्थन करने की आवश्यकता की जाने।

प्रस्ताव संख्या 5

2. आखिरिया नियमन प्रस्ताव के संबंध में विचार किराया।

- जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर क्रेट में सीधा विभिन्न राजस्थान स्टेट एंड राजस्थान सरकार के द्वारा भाषण विभाग द्वारा 9072 क्वार्टर टेलर्स जारी कर दिए हुए हैं। उक्त आमंत्रण का द्वारा प्राप्त किराया से विकास करने में गर्भज विभिन्न राजस्थान स्टेट राजस्थान सरकार को सहयोग देने वाले शहरों एवं ताजें एवं सहयोगी विभिन्न राजस्थान स्टेट को राजस्थान में एक माह के स्तर में उपलब्ध करें जिसे जाँच करी रहना है।

3. स्थायी क्रेट होने के तत्काल राजस्थान मुः-राजस्थान अधिनियम व जानकारी अधिनियम के प्रकारणों के अनुसार ऐसे इंडस्ट्री का नियमन किराया कल्पना कर राजस्थान स्तर में कुछ योगदान या खानम नियमनाधीन नहीं किया जा सकता। राजस्थान मुः-राजस्थान अधिनियम, 1956 की दीर्घ तीन-दीवार के तहत स्थायी विकास विभाग द्वारा समन समूह पर जाने किराये थे पिपलानियाँ अनुसार ऐसे इंडस्ट्री का आवेदन करने वालों के लाभ में गोपनीयता/आधिकारिक प्रौद्योगिकी नियम नियम नहीं किया जा सकता है। राजस्थान विकास विभाग द्वारा जाहीर परिपक्व में इस संबंध में समुच्चयित प्राधिकरण है।

4. उक्त आखिरी नियमन कार्य की प्रस्तावित सुधार निम्न अनुसार है:-

- तहसीलदार, जोधपुर द्वारा वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 2000 तक राजस्थान भूमि के रूप में अकिल भूमि के संबंध में विधिन व्यवस्थाएं को आखिरी दृष्टि के रूप में उपलब्ध कराने का अनुसार-पत्र जारी किये गये हैं। उक्त अनुसार पत्र के अनुसार आखिरी भारकों को प्रति वर्ष 3 से 5 करोड़ प्रति जल्दी द्वारा वर्ष फीट व्यवस्था किराया/लागू दो से अनुसार अनुसार जारी किया जाने का प्रबंधन किया गया था। ऐसे निर्धारित किराये का विस्तार तहसीलदार द्वारा समर्थित की जाने वाली दास में उपलब्ध है। वर्ष 2000 में अकिल पिपलाने के अनुसार उपलब्ध में गोपनीयता नियमानुसार जारी दर्जा है।
2 - अनुशा दी गयी उक्त आख़ियों का क्षेत्रफल 1700 वर्ग फीट है तथा सम्पूर्ण 25000 वर्ग फीट के मध्य है।

3 - क्षेत्र के सूचियों में विकास की पृथ्वी से 100 वर्ग फीट, 200 वर्ग फीट तक 500 वर्ग फीट के भुमिकर्म बनावट जाकर योजना बनायी जानी विधिक होगी। उक्त योजना में सड़क, मार्ग, सागरसाइक रुपरेखा क्षेत्र एवं अन्य सूचीयों का भी ध्यान रखा जाएगा।

4 - प्रायः आकाशीय प्रीति से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक आख़ियों का नियमक क्षेत्र की व्यवस्थापन आरोपण दरों पर किया जाना प्रस्तुत है। आख़ियों का क्षेत्रफल इससे अधिक होने पर नियमन को इंस्पेक्शन आकाशी घारण से 2000 वर्ग फीट तक व्यवस्थापिक दर की हेड गुणा तथा 3000 वर्ग फीट तक व्यवस्थापिक आरोपण दर की दुगनी दर से नियमन शुल्क दर्शल किया जाना प्रस्तुत है। नियमन का अधिकतम क्षेत्रफल 3000 वर्ग फीट होगा।

5 - सड़क एवं सूचियों क्षेत्र के रूप में 25 प्रतिशत भूमि को सूचियों क्षेत्र के रूप में रखा जाएगा। इसके लिए सभी आख़ियों घासक के प्रति प्रति राज्य 25 प्रतिशत कम कर दिया जाएगा।

6 - किसी आकाशीय प्रीति द्वारा उक्त दरों पर नियमन गर्वी भुगतान जाने में विस्मयुक्त होने पर ऐसी भूमि प्राधिकरण को रामणित मानी जाएगी तथा अतिक्रमण हटाना जाकर ऐसी भूमि को व्यवस्थापिक/आवश्यक प्रयोजन से गैतिहासिक किया जाएगा। यदि आकाशी घासक आरोप के लिए आख़ियों के आशिया क्षेत्रफल का नियमण कार्य का तो ऐसे नियमन के अंतिरित रूप हेम में क्षेत्रफल के लिए उक्त अनुसार गैतिहासिक प्राधिकरण अन्य बाहेर जाएगी।

7 - उक्त नियमण से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को 500.00 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

8 - उक्त आख़ियों के क्षेत्र का टॉटल स्टेज तत्त्व करने के लिए आदेश दिया गया है। सभी की रिपोर्टें अन्त में परीक्षा विरोध रिपोर्ट बनायी जाकर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु नेंद्रा जा सकेगी।
प्रस्ताव संख्या 9 ॥ भीमा संघान से भूमि आवंटन प्रक्रमण ।

भीमा संघान ग्राम महामु बागी में वर्ष 2006 में संघान सरकार की स्वीकृति क्रमांक 2(199) राज/युग्म-3/09 दिनांक 28.04.2006 के अनुसार संघान को भूमि कस्ता में 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। संघान सरकार का दिनांक तिथि 15 दिसंबर 2007 के निर्देशानुसार भूमि की कामिनी राहिल अंबानी से बांधी हुई। गठबंधन ने बिना विश्वास के संघान को भूमि कस्ता में 8.53 बीघा भूमि दिया जाना है। प्रक्रमण कार्यकारी समिति में विवाद/निर्णयांकन प्रस्तुत हुआ।

समिति द्वारा चाहिए विवाद विविध सामग्री से निर्णय किया कि ग्रामीण सरकार द्वारा सरकार द्वारा संयुक्त हों तो दो खुद के लिए प्रक्रमण राज्य सरकार की निकायता जाने।

प्रस्ताव संख्या 10 ॥ मुख्य छा संख्या 342 सेक्टर ‘ब’ राजीव गांधी नगर योजना के क्रम में।

आधुनिक विकास प्राप्तिकरण, आधुनिक द्वारा विनिर्देश 2010 के मुख्य छा संख्या 342 सेक्टर ‘ब’ राजीव गांधी नगर योजना की मददसरकार की मदद में आवंटन किया गया था। विनिर्देश द्वारा छा संख्या 12(0).04.2010 के अनुसार दी हुई। अवस्था के मुख्य छा का आवंटन द्वारा अनुमानित प्रता प्लान ने 40, सीमा पार, जैवजगतिक पर जारी हुई। अवस्था के मुख्य छा का आवंटन पर अवस्था का नाम श्री मदनलाल के स्थान पर श्री मोहनलाल सीमा ऑफिस के सेवक से उनके अधीन अवस्था आवंटन का आवंटन की गई, जिसकी साक्षी प्राप्त कर मुख्य छा का मददसरकार शास्त्री जनपदी 47,276/- प्राप्त किया गया। प्रक्रमण कोष में राशी संख्या 22513 दिनांक 27.02.2011 के अधीन कार्यकर्ता है। अवस्था की बच्चा राहिल पर 15 वित्तीय खाता राहत 58,588/- पर 10 प्रतिशत खाती राखी प्रति 47,276/- कुल राखी 1,05,864/- जारी किया। अवस्था की मददसरकार शास्त्री अधिकारियों के निर्देशानुसार दे प्रति खाता एवं खाता लेने का कारण कारण है। जबकि अवस्था को मुख्य छा का आवंटन पर श्री मदनलाल के सीमा एवं मोहनलाल के लाभ में कुल राखी 1,05,864/- के अधीन रखने अधिक मिले हे विषय विषय प्रस्तुत हुआ।

समिति द्वारा दूसरा बाद विवाद विविध सामग्री से निर्णय किया कि उपरोक्त प्रस्ताव में अधिक खाता लेने शास्त्री की राहिल वसूल नहीं करते का निर्णय किया।

प्रस्ताव संख्या 11 ॥ श्री दिनेश कुमार राकावत पुंजी श्री एस्तितस्य राकावत वापस योजना आवास गृह संख्या 342 के संबंध में।

श्री दिनेश कुमार राकावत वापस योजना के लाभी द्वारा आवास गृह संख्या श्री-195 आवंटन हुआ था। उक्त प्रक्रमण कार्यकारी समिति वैडक दिनांक 10.02.2009 प्रस्ताव संख्या 7 में निर्णय के अधीन गठित कर्मी 1. समिति, प्राधिकरण- आयोजन 2.
प्रस्ताव संख्या 12 : श्री धेरवसन्द गोसाई जी नामक पुरूष श्री किसन पुरूष जी गणी नामार्थीय योजना मूलधार संख्या आई- 761 सालेज़ 6 15 वर्ष मीटर सबबत।

श्री धेरवसन्द गोसाई जी को साधारण गाँवी मोजना में मूलधार संख्या आई- 761 का आवर्तन हुआ था। श्रीधेरवसन्द गोसाई जी का आवर्तन ऐसा हुआ कि उसके शिक्षा शीर्षक कल्याणी कर्मचारी ने में आवर्तन क्षेत्र में फिर से शिक्षा शीर्षक कल्याणी का कोई आवर्तन किया नहीं। लवणी महत्त्व बिना एक 11.06.2010 को श्रीधेरवसन्द गोसाई जी को आवर्तन मूलधार निर्माण कर प्राप्त नहीं। श्रीधेरवसन्द गोसाई जी का मंडल संख्या 12(9) मंडल नीरना के आवर्तन पर रंगी जानें की गई थी। प्राप्त निर्माण पर अवशेष कर निर्माण किया गया गया निर्माण कर प्राप्तियों का आवर्तन पर नेत्र अवशेष शीर्षक का मंडल की गई है। जो निर्माण शक्ति है। मेरे श्रीधेरवसन्द गोसाई जी की गई है। अतः मेरे श्रीधेरवसन्द गोसाई जी की गई है। जिससे पत्नारी के ऐसे ना 51 और 60 के अनुसार आवर्तन की मंडल शीर्षक कर के निर्माण की आवर्तन पर शिक्षा के आवर्तन जाती कर दिया जाता है। पत्नारी की गई है। जिससे पत्नारी के ऐसे ना 51 और 60 के अनुसार आवर्तन की मंडल शीर्षक कर के निर्माण की आवर्तन पर शिक्षा के आवर्तन जाती कर दिया जाता है। पत्नारी की गई है।

समिति के लिए नीचे सर्व सम्मति के उपरस्तु प्रस्तावनुसार रिकाश्य करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 : श्री नतुसिंह, अशिक्षन संबंधी निरीक्षक को सेवा में बहाल करने के संबंध में।

श्री नतुसिंह (कनिष्ठ निरीक्षक), अशिक्षन रेकर्जन को कार्यालय आदेश कर्नक एक 21/सर्कार/2001/1311-1319 दिनांक 18 जून, 2001 द्वारा निर्देशित किया गया था। श्री नतुसिंह के बिना अशिक्षन निरीक्षक कर्मों में से प्रकाश दिखा है। इस कार्यालय के पत्र कर्मकार 2365 दिनांक 2 जुलाई, 2008 के आदेश अनुमोदन की स्पष्टीक कर दिया गया।

श्री नतुसिंह ने प्राप्तवाद-प्रत्येक राज्य सरकार के पत्र कर्मकार प, 2 (157) कार्यक व-3/97 दिनांक 7 जुलाई, 2010 का हास्याला वेतन पुरूष सेवा में बहाल किये जाने का निर्देशन किया है। परिवर्ध दिनांक 7 जुलाई, 2010 के क्रम में विवरण शास्त्र ने रिपोर्ट अर्कित की है कि जिन कार्यालयों के निर्माण का आवर्तन नवः अवधिक समय हो यूजा है। उनसे कहा- हैं पुरीतवार करने बहाल प्रवास किया गया है। अतः प्रकाश कार्यालय में संभव रखा जाना उपर्योग होगा।
प्रस्ताव संख्या 14 :: श्री लुप्तकरण पुरोहित, अधिवक्ता को पुनःतान किये जाने के संबंध में।

माननीय आदेश स्थायित्व ए.जी.जी (एजीजी) संख्या 2. जौधपुर में लम्बित वाद संख्या 285/2011 मदन लाल कार्यालय निर्देशित हुए। यहां अधिसूचना विशेष प्राधिकरण, जौधपुर में प्राधिकरण की ओर से निर्धारित विवरण अधिवक्ता श्री लुप्तकरण पुरोहित को राख 51,000/- की भुगतान की जाने वाली संधि का अनुमोदन किया है। इसी प्राधिकरण के विवरण वाद संख्या 285/2011 निर्देशित में 10 अगस्त 2011 के विषय में वर्तमान के विवरण को श्री लुप्तकरण पुरोहित को राख 41,000/- की भुगतान की जाने वाली संधि का भी अनुमोदन किया जाता है।

1- वाद की पूर्णता = 51,000/-
2- अपील की पूर्णता = 41,000/-

कुल राख = 92,000/-

वर्तमान में उपलब्ध अधीन न्यायालय में लम्बित है व अपील भी लम्बित है। इसलिए निर्देशित वाद की पूर्णता 51,000/- व अपील की पूर्णता 41,000/- कुल का राख = 92,000/- की भुगतान की संधि के संबंध में प्राधिकरण संख्या के साथ प्रस्ताव पुनःतान हुआ।

बाद विवाद निम्नलिखित सर्व संगठित से प्राधिकरण प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: पैनल अधिवक्ता/सहायक अधिवक्ता की पूर्णता व मान्यता बदलने के संबंध में एवं सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।

बैठक में श्री मनोज राधाकृष्ण, मुख्य विधि सहायक द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से पैनल अधिवक्ता की पूर्णता प्रविधान राख 2100/- से बढ़ाकर राख 5,000/- एवं सहायक अधिवक्ता की मान्यता प्रविधान राख 2000/- से बढ़ाकर राख 4500/- किये जाने हेतु प्रस्ताव पुनःतान हुआ। इसी क्रम में माननीय राजमहल अधिकार एवं अधिकार प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता पूर्णता बदलने की गांठ कर रहे हैं। उन्होंने वर्तमान में प्रतिवाद राख 3000/- पैनल भुगतान किया जा रहा है जो क्रम प्रतिलिपि होता है। अतः प्रविधान राख 3000/- से बढ़ाकर राख 10,000/- किया जाना प्रस्तावित है।

अपील कोर्ट में सहायक अधिवक्ता नियुक्ति नहीं है। तत्पर श्री जयप्रakash राव चौहान को पैनल अधिवक्ता श्री लुप्तकरण पुरोहित की सहायता के रूप में नियुक्त किया
जाना प्रस्तावित है। पहले आयोग की कौशल्य के प्रश्न 2 में प्रस्तावित वैकल्पिक संरचना के अधिकारियों को नियुक्ति प्राप्त सुबंधित विवरण संरचना के अभियान का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

वैकल्पिक वा बाहर विदेशों का समीक्षा के लिए चारा-चारा प्रस्ताव का अन्तर्भाषित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक समाप्त हुई।

साहित्य
जोधपुर विकास प्रभारी
जोधपुर

कामाक्ष/ वैडक/ 2011/ LC/ DCE/ 1598/ 01/ दिनांक = 26 अगस्त, 2011

प्रविशितों—

01. प्रमुख वास्तु सुविधा महोदय, संरचना विकास विभाग, राजस्थान, जोधपुर
02. सिल्क विकास सुविधा महोदय, जोधपुर
03. विलायतुद्दीन अधिकारी महोदय, जोधपुर
04. बाहर (मुख्य कार्यालय अधिकारी) ग्राम निगम, जोधपुर
05. मुख्य अधिकारी, लोक निगम विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अधिकारी, जन संस्थान अन्तर्द्वारिक विभाग, जोधपुर
07. प्रशासनिक निदेशक, जोधपुर विकास विभाग, जोधपुर
08. प्रशासनिक निदेशक, संस्थान राज्य औद्योगिक विकास प्रांत विभाग, जोधपुर
09. प्रशासनिक निदेशक, जोधपुर विकास प्रांत विभाग, जोधपुर
10. प्रशासनिक निदेशक, जोधपुर विकास प्रांत विभाग, जोधपुर
11. प्रशासनिक निदेशक, जोधपुर विकास प्रांत विभाग, जोधपुर
12. प्रशासनिक निदेशक, जोधपुर विकास प्रांत विभाग, जोधपुर
13. प्रशासनिक निदेशक, जोधपुर विकास प्रांत विभाग, जोधपुर
14. प्रशासनिक निदेशक, जोधपुर विकास प्रांत विभाग, जोधपुर
15. निजी संस्था (मुख्यतः जोधपुर विकास प्रांत), जोधपुर विकास प्रांत विभाग, जोधपुर
16. मैंनर अधिकारी जोधपुर जाता प्रेसेंट, कार्यालय परिसर, जोधपुर = एडिसाइट पर प्रस्तावना है।

साहित्य
जोधपुर विकास प्रभारी
जोधपुर
प्रवृत्ति-3

दिनांक 26 अगस्त 2008 को, नयाम सहित भोजन, बुधवार भोजन एवं कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम संबंधी विभागों की मान्यता से अनुरोधित अन्य संबंधी सरकार के बैठक से उपस्थित अधिकारियों का निर्णय।

1. बी के सी पटानी, जैनल पुस्तक अभिलक्षण अंक 2 के तिथि के लिए अनुमोदन किया गया।
2. शे अयु केलिंग स्कूल के लिए राष्ट्रीय प्रथम दस्तावेज संयुक्त मान्यता को मिलने है।
3. शे प्रथम स्कूल राष्ट्रीय कक्षा 2 मान्यता-ग्रहण के लिए मान्यता के लिए अनुमोदन किया गया।
4. शे भूमिका नवीन स्कूल अभिलक्षण अंक 4 के लिए मान्यता को मिलने है।
5. शे भूमि स्कूल शिक्षा मान्यता सीमा के लिए अनुमोदन किया गया।
6. शे प्रथम अभिलक्षण अंक 2 के लिए मान्यता के लिए अनुमोदन किया गया।
7. शे नवीन कक्षा 3 ग्रहण प्राप्ति के लिए मान्यता के लिए अनुमोदन किया गया।
8. शे प्रथम अभिलक्षण अंक 2 के लिए मान्यता के लिए अनुमोदन किया गया।
9. शे प्रथम स्कूल राष्ट्रीय कक्षा 2 मान्यता-ग्रहण के लिए मान्यता के लिए अनुमोदन किया गया।
10. शे प्रथम स्कूल राष्ट्रीय कक्षा 2 मान्यता-ग्रहण के लिए मान्यता के लिए अनुमोदन किया गया।
11. शे उपमान निरीक्षण अभिलक्षण अंक 2 के लिए मान्यता के लिए अनुमोदन किया गया।